PARMAR SSC

SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

President and Vice-President

Lecture :- 6

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR Scan

शासन

विधायिका	कार्यपालिका	न्यायपालिका
कानून का निर्माण	कानून को लागू करना	कानून के आधार पर न्याय

कार्यपालिका

राष्ट्रपति | उपराष्ट्रपति | pm + cm | महान्यायवादी

भाग-5 संघ (अनु० 52-151)

अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा।
[राष्ट्रपति - राष्ट्राध्यक्ष]
भारत का पहला नागरिक

अनुच्छेद 53: कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में केन्द्रित होगी।
सेनाओं का प्रमुख [जलसेना, स्थलसेना, वायुसेना]

अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा।
निर्वाचित [mp + mLA]
मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते।

LS } mp < निर्वाचित / मनोनीत
RS (12)
LA - mLA

दिल्ली / पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य (mLA)

PARMAR SSC

अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति

- अप्रत्यक्ष निर्वाचन
- अनुपातिक प्रतिनिधित्व
- एकल संक्रमणीय मत पद्धति
- गुप्त रीति

Direct प्रत्यक्ष → सीधे लोगों द्वारा

Indirect अप्रत्यक्ष → लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा

→ 50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक

जमानत राशि = 15000

→ Quota = $\dfrac{\text{कुल वोट}}{\text{उम्मीदवारों की संख्या} + 1} + 1$

→ विधायक वोट मूल्य = $\dfrac{\text{राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या}}{\text{निर्वाचित MLA की संख्या}} \times \dfrac{1}{1000}$

→ सांसद वोट मूल्य = $\dfrac{\text{सभी MLAs का कुल वोट}}{\text{सभी निर्वाचित MPs की संख्या}}$

अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति का कार्यकाल - 5 वर्ष

राष्ट्रपति —त्याग पत्र→ उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 57: राष्ट्रपति का पुर्ननिर्वाचन

जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता।

USA → max. 2 बार → देशीयकरण से नागरिक होने पर राष्ट्रपति X, भारत (✓)

सर्वाधिक कार्यकाल - डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति की योग्यता

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
- वह संघ/राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो।
  - संविधान में परिभाषित नहीं।

अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के पद की शर्तें

संघ/राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो।

उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां और भत्ता कम नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 60: शपथ

- सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
  - ↓
  - वरिष्ठ न्यायाधीश

अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग

↓

संसद के सदस्य

महाभियोग → प्रस्ताव → 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना

लोकसभा राज्यसभा (किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता)

↓

सदन के कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{1}{4}$ सदस्यों के हस्ताक्षर

↓

विशिष्ट बहुमत [कुल सदस्य संख्या के $\frac{2}{3}$ सदस्यों के हस्ताक्षर]

↓

दूसरे सदन में भी विशिष्ट बहुमत से पास

↓

इसके पश्चात उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।

PARMAR SSC

→ MLAs राष्ट्रपति के चुनाव मे हिस्सा लेते है लेकिन महाभियोग मे हिस्सा नही लेते।

→ मनोनीत MPs चुनाव मे भाग नही लेते किंतु महाभियोग मे भाग लेते है।

अनुच्छेद 62: राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव।

मृत्यु
त्यागपत्र
महाभियोग
→ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करेगा
अधिकतम - 6 महिना

{उपराष्ट्रपति → CJI (मुख्य न्यायाधीश) → वरीष्ठ न्यायाधीश}

{ प → पद (52)
का → कार्यपालिका (53)
नि → निर्वाचन (54) }

{ की → कीरा (55)
का → कार्यकाल (56) }

{ दू → दुबारा / पुर्ननिर्वाचन (57)
यो → योग्यता (58) }

{ द → दशाएं (59)
श → शपथ (60)
म → महाभियोग (61) }

PARMAR SSC

अनुच्छेद - 63-71

"उपराष्ट्रपति"

अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

अनुच्छेद 65: उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यो का पालन करना।

अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

(1) निर्वाचन मण्डल - सभी सांसद (All MPs)
एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व
अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति

(2) संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो।
(चुने जाने पर पहला पद त्यागना होगा)

(3) योग्यता:
- भारत का नागरिक
- उम्र - 35 वर्ष
- राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
- लाभ का पद न धारण किये हो।

अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल - 5 वर्ष

- त्यागपत्र ⟶ राष्ट्रपति
- हटाने की प्रक्रिया → राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यो के बहुमत ने पारित किया हो। और जिससे लोकसभा सहमत हो।

PARMAR SSC

अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली हो।

अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्य खत्म होने से पहले। (60 day)

अनुच्छेद 69: शपथ

↳ राष्ट्रपति दिलाते

अनुच्छेद 70: अन्य अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे।

अनुच्छेद 71: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा किये गये कार्य अमान्य नहीं होंगे

अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (मृत्युदण्ड को माफ) निलम्बन, लघुकरण, परिहार

अनुच्छेद 161: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

- (राज्यपाल मृत्युदण्ड को माफ नहीं कर सकता)
- राज्यपाल कोर्ट-मार्शल द्वारा दी गई सजा को भी माफ
- नहीं कर सकते।

उपराष्ट्रपति के चुनाव → 20 प्रस्तावक + 20 अनुमोदक

भारत के पहले उपराष्ट्रपति - सर्वपल्ली राधाकृष्णन (2 बार) लगातार

सर्वाधिक कार्यकाल - हामिद अंसारी

तीसरे राष्ट्रपति - वीवी गिरि

PARMAR SSC